भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3704
11/08/2026 को उत्तर के लिए

मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

3704. श्री शफी परम्बिलः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान केरल के वडाकरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में मछुआरों के कल्याण और आजीविका के लिए कार्यान्वित की गई केंद्रीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि का योजना-वार ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार को वडाकरा में मत्स्यपालन अवसंरचना, मत्स्यन बंदरगाहों, मत्स्य लैंडिग केंद्रों, कोल्ड चेन सुविधाओं या आजीविका सहायता के लिए केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो उनकी स्थिति क्या है; और
(घ) निर्वाचन क्षेत्र में पारंपरिक मछुआरों की आय, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): मत्स्यपालन विभाग**,** भारत सरकार केरल सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मात्स्यिकी के समग्र विकास और मछुआरों के कल्याण व आजीविका के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है**।** प्रमुख योजनाओं में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना **(**PMMSY) (2020-21 से 2026-27), मात्स्यिकी और जलकृषि अवंसरचना विकास कोष **(**FIDF) (2018-19 से 2025-26), प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) (2023-24 से 2026-27) और मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए किसान क्रेडिट कार्ड **(**KCC) सुविधा का विस्तार (2018-19 से) शामिल हैं। PM-MKSSY के तहत**,** नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP) भी लॉन्च किया जा रहा है**,** जिसका उद्देश्य हितधारकों की डिजिटल पहचान और डेटाबेस तैयार करके मात्स्यिकी और जलकृषि क्षेत्र को संगठित बनाना है।

(ख**)** से (घ**):** विगत पांच वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष **(**2026-27) के दौरान**,** पीएमएमएसवाई के तहत**,** मत्स्यपालन विभाग**,** भारत सरकार ने 598.58 करोड़ रुपए की केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ केरल सरकार के 1,413.91 करोड़ रुपये के मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसके सापेक्ष 462.22 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की जा चुकी है। केरल सरकार ने इस जारी की गई केंद्रीय सहायता के विरुद्ध ₹451.807 करोड़ के व्यय की सूचना दी है। PMMSY के तहत, लाभार्थी का चयन संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। केरल सरकार ने अवगत कराया है कि केरल के वडकरा में कई गतिविधियां कार्यान्वित की गई हैं**,** जैसे मत्स्यन प्रतिबंध अवधि के दौरान आजीविका में सहायता**,** पारंपरिक मछुआरों के लिए नाव और जाल**,** बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग**,** री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम

(RAS), बैकयार्ड ओर्नामेंटल इकाइयां, खारे जल में केज, फिश कियोस्क, आइस बॉक्स वाला तिपहिया वाहन, आइस बॉक्स वाली मोटरसाइकिल और सागर मित्र। केरल सरकार ने यह भी अवगत कराया है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन (एफएफपीओ) के लिए वडकारा, केरल की 3 प्राथमिक सहकारी समितियों का चयन किया गया है। आगे यह भी सूचित किया गया है कि वडकारा, केरल के लगभग 7,561 लाभार्थियों को इन पहलों से लाभ प्राप्त हुआ है।

FIDF के तहत, मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार ने केरल में कुल 551.72 करोड़ रुपए की लागत वाली 13 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। अनुमोदित परियोजनाओं में मत्स्यफेड (MATSYAFED) की समेकित मात्स्यिकी विकास परियोजना भी शामिल है, जिसकी कुल परियोजना लागत ₹35.97 करोड़ है। इस परियोजना का कार्यान्वयन कोझिकोड जिले सहित राज्यभर में किया जा रहा है। इसके अंतर्गत मछुआरों को आउटबोर्ड मोटर, मत्स्य जाल तथा अन्य संबद्ध मत्स्य उपकरणों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उनकी आजीविका एवं सामाजिक-आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। एफआईडीएफ के तहत वडकारा से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। PM-MKSSY के तहत, अब तक, लगभग 35.92 लाख मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य हितधारकों ने एनएफडीपी पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जिसमें केरल के 2,52,301 लोग शामिल हैं, जिनमें से 5,032 वडाकरा से हैं।

मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार ने राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) और केरल सरकार के सहयोग से पोन्नानी, मलप्पुरम में आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें वडाकारा के मछुआरों को शामिल किया गया ताकि उन्हें भारत सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा सके। मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार को केरल सरकार से वडाकारा में मात्स्यिकी से जुड़े बुनियादी ढांचे, फिशिंग हार्बर और फिश लैंडिंग सेंटर के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार केरल सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पारंपरिक मछुआरों की आजीविका को सुदृढ़ करने और उनकी सुरक्षा व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने को उच्च प्राथमिकता देता है। मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाएँ और नीतियाँ मात्स्यिकी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए रणनीतिक रूप से बनाई गई हैं, जो मछुआरों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती हैं। PMMSY के तहत, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने केरल में विभिन्न मात्स्यिकी विकास गतिविधियों को मंजूरी दी है, जिसमें आजीविका और मछुआरों के कल्याण के लिए अंतर्क्षेप शामिल हैं, अर्थात मछली पकड़ने पर प्रतिबंध अवधि (1,71,033 नग) के दौरान आजीविका सहायता, नावों और मछली पकड़ने के जाल (200 इकाइयों) के लिए सहायता, एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्य पालन गांवों की स्थापना (9 नग), जलवायु प्रतिरोधी तटीय मत्स्यन ग्राम (6), डीप सी फिशिंग वेसल्स (20 इकाइयों) की खरीद, अतिरिक्त रोजगार के रूप में बाइवाल्व की खेती (1140 इकाइयां), मत्स्य परिवहन इकाइयां (468 इकाइयां), संसाधन वृद्धि के लिए कृत्रिम रीफ़ (42 इकाइयों) की स्थापना, मत्स्य सेवा केंद्रों की स्थापना (10 नग) और विस्तार और सलाहकार सेवाओं के लिए सागर मित्रों (222 नग) की नियुक्ति । इसके अतिरिक्त, केरल के मात्स्यिकी क्षेत्र के लाभार्थियों को 18,908 KCC कार्ड स्वीकृत किए गए हैं। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य वडकारा सहित केरल के मछुआरों की आजीविका को सुदृढ़ करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
